कार्यालय मुख्य वन सरंक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– 838 /11–सी–FP/UP/Water/47013/2020, लखनऊ, दिनांकः अक्टूबर 12 ,2020

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी।

विषयः– जनपद झांसी में झांसी–भगवन्तपुरा–मऊरानीपुर राष्ट्रीय राज्य मार्ग संख्या–39 के किमी0 संख्या–01 से 04 तक बांयी पटरी पर उ0प्र0 जल निगम द्वारा नगर पेयजल पुर्नगठन योजना फेस–1 के अंतर्गत पेयजल पाईप लाईन बिछाये जाने में प्रभावित 0.40 हे0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः– आपका पत्रांक–891/33–1, दिनांक 08.10.2020

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयगत प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त ऑनलाइन व हार्डकापी में निम्नलिखित कमियॉ/अभिलेखों का आभाव पाया गयाः–

1. प्रस्ताव में इस कार्यालय के पत्रांक–343/11–सी, दिनांक 14.08.2020 के क्रम में वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी/प्रयोक्ता एजेंसी का वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।
2. प्रस्ताव में संरक्षित वनभूमि के सापेक्ष दुगने अवनत वनभूमि पर 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन, क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल का Geo Referenced Digital Map, SoI Toposheet, उपयुक्तता प्रमाण एवं के0एम0एल0 फाइल की सीडी प्रस्ताव में संलग्न किया गया है, किन्तु वर्तमान में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक–एफ0सी0–11/165/2019–एफ0सी0, दिनांक 27.07.2020 द्वारा पेयजल पाइप लाइन बिछाये जाने के सम्बन्ध में कतिपय शर्तो के अधीन विषयगत प्रकरण में क्षतिपूरक वृक्षारोपण से छूट प्रदान की गयी है। अतः प्रस्ताव से विस्तृत प्राक्कलन, क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल का Geo Referenced Digital Map, SoI Toposheet, उपयुक्तता प्रमाण एवं के0एम0एल0 फाइल को पृथक कर ऑनलाइन भाग–2 से भी डिलिट करें।
3. प्रस्ताव में एन0पी0वी0 की गणना संलग्न है, किन्तु भारत सरकार की एन0पी0वी0 की गाइडलाइन दिनांक 05.02.2009 के अनुसार 1 हे0 से कम वनभूमि प्रभावित होने एवं 4'' Diameter तक की पेयजल पाइप लाइन बिछाये जाने की स्थिति में एन0पी0वी0 की छूट है। यदि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा विषयगत प्रकरण में 4'' Diameter तक की पेयजल पाइप लाइन बिछाया जाना प्रस्तावित है तो प्रकरण में एन0पी0वी0 की गणना प्रस्ताव से पृथक कर ऑनलाइन भाग–2 से भी डिलिट करें।
4. वन अधिकार अधिनियम–2006 के अंतर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र/प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने की वचनबद्धता प्रस्ताव में संलग्न नहीं है। अतः संलग्न कर ऑनलाइन पार्ट–2 में अपलोड करें।
5. हार्डकापी भाग–2 के क्रमांक–10 (I-V) से क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित विवरण अंकित किया गया है। अतः उपरोक्त बिन्दु–02 के अनुसार संशोधित करते हुये संशोधित हार्डकापी भाग–2 संलग्न करें तथा ऑनलाइन पार्ट–2 के Additional Information Detail एवं क्रमांक–15 से पुराना डिलिट कर संशोधित हार्डकापी भाग–2 ऑनलाइन अपलोड करें।
6. ऑनलाइन पार्ट–2 के Additional Information Detail से उपरोक्तानुसार अनावश्यक प्रमाण पत्र डिलिट करें।
7. प्रस्ताव के साथ संलग्न सीडी में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की kml फाइल हटाते हुये केवल प्रस्तावित वनभूमि की kml फाइल ही अपलोड करें।

अतः कृपया किसी कार्यदिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव की 03 प्रतियॉ प्राप्त कराकर, इंगित कमियों का निराकरण के पश्चात् पूर्ण संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को 03 प्रतियों में उपलब्ध करायें, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

12.10

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– 838 /11–सी–FP/UP/Water/47013/2020, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी।
2. श्री आशीष कुमार रावत, सहायक परियोजना अभियन्ता, अतिरिक्त निर्माण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, झांसी।

12.10

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-866